

रीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
रामेश्वर बनाम चतर सिंह

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

14⁰⁷/₂₅

बहुलाय फरीडन उप, प्राणपत्र ऐतराज उर
रिपोर्ट का जवाब पेश हुआ। पत्रावली वाफे
खसम प्राणपत्र ऐतराज उर रिपोर्ट दिनांक
06/8/25 की पेश की।

Handwritten signature

06⁰⁸/₂₅

पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपत्र उप
प्राणी ने मय वकील प्राणपत्र ऐतराज उर
रिपोर्ट की गोरप्रेम उर खोजि सिने जाने
द्वे निवेदन किया। पत्रावली का अपलॉडिंग भि
जमा। प्राणी का खोजि पत्र ऐतराज उर रिपोर्ट
गोरप्रेम उर खोजि भिजा जाता है।

बादा दादीगण तहसीलदार नगर से प्राप्त
विभाजन प्रस्ताव अनुमार फाइल डिही भिजा
जाता है। विस्तृत निधि प्रभंड से लिखाया
जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली
फाइल अनुमार दोहरा दायिल इफ्तार की।

Handwritten signature
(*Handwritten name*)

सहायक कलक्टर
(फारट डिक)
नगर (डीग) राजो

रामेश्वर बगै. बनाम चतरसिंह बगै.
चतरसिंह बगै. बनाम रामेश्वर बगै.

न्यायालय सहायक कलक्टर, नगर (डीग)

पीठासीन अधिकारी - दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

(1)

दायरा दिनांक :- 23.10.2019

मुकदमा नम्बर :- 109/2019

1. रामेश्वर पुत्र हरचन्द ---- फौत
1/1. गुड्डी पत्नी रामेश्वर
1/2. लक्ष्मी पुत्री रामेश्वर
1/3. क्षमा पुत्री रामेश्वर
1/4. विवेक पुत्र रामेश्वर
2. गजेन्द्र पुत्र हरचन्द
3. देवेन्द्र पुत्र हरचन्द

जातियान गुर्जर निवासीयान सारंगपुर तहसील नगर जिला डीग।

-----वादीगण

बनाम

1. चतरसिंह पुत्र कजौडी ---- फौत
1/1. लख्खीराम पुत्र चतरसिंह
1/2. जगदीश पुत्र चतरसिंह
1/3. मुन्दरी पुत्री चतरसिंह
1/4. शीला पुत्री चतरसिंह
1/5. शिवराम पुत्र चतरसिंह
2. चेताराम पुत्र विजयसिंह
3. रामदयाल पुत्र विजयसिंह
4. अशोक पुत्र विजयसिंह
5. मुस0 फुलन पत्नी विजयसिंह (मृतक)
6. श्रीमान तहसीलदार साहब, नगर, तहसील नगर जिला डीग, प्रांत राज0

-----प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

(2)

तारीख दायरा:- 27.11.2019

मुकदमा संख्या :- 116/2019


1. चतरसिंह पुत्र कजौडी ---- फौत
1/1. लख्खीराम पुत्र स्व0 चतरसिंह
1/2. जगदीश पुत्र स्व0 चतरसिंह
1/3. शिबो पुत्र स्व0 चतरसिंह

जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम सारंगपुर तहसील नगर जिला डीग।

1/4. शीला पुत्री स्व0 चतरसिंह

1/5. मुन्दरी पुत्री स्व0 चतरसिंह

जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम पीलूकी तहसील नगर जिला डीग।


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज0

रामेश्वर बगै. बनाम चतरसिंह बगै.
चतरसिंह बगै. बनाम रामेश्वर बगै.

2. चेताराम पुत्र विजयसिंह
 3. रामदयाल पुत्र विजयसिंह
 4. अशोक पुत्र विजयसिंह
 5. मुस0 फुलन पत्नी विजयसिंह (मृतक)
- जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम सारंगपुर तहसील नगर जिला डीग।

—वादीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र हरचन्द —फौत
1/1. गुड्डी पत्नी रामेश्वर
1/2. विवेक पुत्र रामेश्वर
जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम सारंगपुर तहसील नगर जिला डीग।
1/3. लक्ष्मी पुत्री रामेश्वर
1/4. क्षमा पुत्री रामेश्वर
जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम सुंदरावली तहसील नगर जिला डीग।
2. गजेन्द्र पुत्र हरचन्द
3. देवेन्द्र पुत्र हरचन्द
जातियान गुर्जर निवासीयान सुंदरावली तहसील नगर जिला डीग।
4. श्रीमान तहसीलदार तहसील नगर

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित:—

1. अधिवक्ता श्री अनिल कुमार गोयल वादी
2. अधिवक्ता श्री दिनेश चंद गुप्ता प्रतिवादीगण।

निर्णय


दिनांक:—06.08.2025

उक्त दोनो वादो मे पक्षकार एवं विवादित आराजी एवं चाहा गया अनुतोष एक समान है जिससे दोनो दावो का एक निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति दोनो दावो मे शामिल रहेगी। विवादित आराजी खसरा नं0 159/0.76, 160/0.67, 161/0.65, 162/0.51 बाके ग्राम सारंगपुर तहसील नगर उभय पक्षकारान की सयुक्त खातेदारी की भुमि है। जिसके विभाजन के लिए दोनो पक्षो ने पृथक-पृथक वाद प्रस्तुत किये है। पूर्ववर्ती वाद संख्या 109/19 उनवानी रामेश्वर बगै. बनाम चतरसिंह बगै. के साथ पश्चात्वर्ती वाद संख्या 116/19 उनवानी चतरसिंह बगै. बनाम रामेश्वर बगै. को दिनांक 09.04.2025 को समेकित किया जाकर वकील उभय पक्षकारान की सहमती के अनुसार दावा में प्राथमिक डिक्री पारित कर आदेश दिया कि— “वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा व कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार तैयार कर प्रस्तुत करें।”

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदार नगर द्वारा वउनवानी प्रकरण मे विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्र क्रमांक/भू.अ./25/1569 दिनांक 14.05.2025 को न्यायालय हाजा को कुछ इस प्रकार से प्रेषित किये गए।


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज0

- रामेश्वर बगै. बनाम चतरसिंह बगै.
चतरसिंह बगै. बनाम रामेश्वर बगै.
1. आराजी खसरा नं० 161/0.65, 162/0.51, 159/1/0.07, 160/1/0.0650 किता 04 रकबा 1.2950 है० रामेश्वर, गजेन्द्र, देवेन्द्र पि. हरचन्द्र बहिस्सा बराबर जाति गुर्जर नि. सारंगपुर खातेदार राहिन कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया शाखा नगर
 2. आराजी खसरा नं० 159/2/0.69, 160/2/0.6050 किता 02 रकबा 1.2950 है० चतरसिंह, विजयसिंह पुत्र कजौडी बहिस्सा बराबर जाति गुर्जर नि. सारंगपुर खातेदार राहिन एस.बी.आई. बैंक शाखा नगर।
- प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट के साथ सलंगन नजरी नक्शा कुछ इस प्रकार से है।




प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट पर प्रार्थी लक्खीराम पुत्र चतरसिंह ने ऐतराज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे प्रार्थी ने मय वकील नोटप्रेस कर निवेदन किया है कि तहसीलदार नगर से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार विभाजन कर दावा अन्तिम डिक्री किया जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत ऐतराज कुर्रैजात रिपोर्ट नोटप्रेस कर खारिज किया जाता है।

प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा कुर्रैजात रिपोर्ट का अवलोकन किया।

तहसीलदार नगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.05.2025 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-53 के नियम 18-21 के अन्तर्गत तैयार किये गये हैं। विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थिति बाबत पक्षकारान को सूचित करते हुये उपस्थित पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किये गये हैं। अतः तहसीलदार नगर द्वारा प्रेषित कुर्रैजात प्रस्ताव नियमों के संदर्भ में प्रमाणिक व सही प्रतीत होती है। जिसके अनुसार वादी रिकॉर्ड के अनुसार विभाजन कराने का अधिकारी है। अतः दावा वादीगण अन्तिम डिक्री किये जाने योग्य हैं।

:आदेश:


अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नगर से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 14.05.2025 के आधार पर उभय पक्ष के मध्य विवादित आराजी खसरा नं० 159/0.76, 160/0.67, 161/0.65, 162/0.51 बाके ग्राम सारंगपुर तहसील नगर को मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी, खाते अलग-अलग बहिस्सा लगान कायम किये जाकर निम्न प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज०

रामेश्वर बगै, बनाम चतरसिंह बगै,
चतरसिंह बगै, बनाम रामेश्वर बगै.


1. आराजी खसरा नं० 161/0.65, 162/0.51, 159/1/0.07, 160/1/0.0650 किता 04 रकबा 1.2950 है० गुड्डी पत्नी रामेश्वर, लक्ष्मी, क्षमा पुत्रीयान रामेश्वर, विवेक पुत्र रामेश्वर बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा, गजेन्द्र पुत्र हरचन्द 1/3 हिस्सा, देवेन्द्र पुत्र हरचन्द 1/3 हिस्सा जाति गुर्जर नि. सारंगपुर खातेदार राहिन कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया शाखा नगर
2. आराजी खसरा नं० 159/2/0.69, 160/2/0.6050 किता 02 रकबा 1.2950 है० लखवीराम, जगदीश, शिवराम पिसरान चतरसिंह, मुन्दरी, शीला पुत्रीयान चतरसिंह बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा, चेताराम, रामदयाल, अशोक पुत्रान विजयसिंह बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा जाति गुर्जर नि. सारंगपुर खातेदार राहिन एस.बी.आई.बैंक शाखा नगर।

नक्शे मे तरमीम इस प्रकार से की जावे।



इसी प्रकार पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।




(दुर्गा प्रसाद मीना) R.A.S.
सहायक कलेक्टर
नगर (डीग)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज०